

30 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTEENTH REPORT

SHRI VINODBHAI B. SHETH (Jamaagar): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th April, 1978."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th April, 1978."

*The motion was adopted.*

31 Hrs.

RESOLUTION RE. CONTINUANCE OF ENGLISH AS ADDITIONAL LINK LANGUAGE—Contd.

MR. CHAIRMAN: The House will now resume further discussion of the following Resolution moved by Shri S. D. Somasundaram on the 17th March, 1978:—

"This House do urge upon the Government to amend the Constitution so as to implement Pandit Nehru's solemn assurance to Parliament that, besides Hindi being the link language English would continue as additional link language so long as non-Hindi speaking people want it."

Shri Yuvraj may continue his speech.

Out of 6 hours allotted, there is a balance of 1 hour 26 minutes.

श्री युवराज (कटिहार) : राष्ट्रीय भाषा का स्तर प्राप्त करने के लिए हिन्दी पूर्णतः सज्जन है और संविधान ने विधिवत इतनी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया है और इतनी घोषणा कर इतनी मर्यादा का प्रस्ताव है। न केवल यह सम्पर्क भाषा के रूप में निश्चित है बल्कि यह बोधगम्य भी है। अनेक भाषाओं के शब्द इस में

लिए गए हैं और इस देश में किसी प्रदेश की कोई जनता नहीं होगी, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे जो हिन्दी बोल नहीं सकते हैं और समझ नहीं सकते। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण ही हिन्दी को भारी नुकसान पहुंचा था और यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि प्रशासन के दृढ़ इरादे की कमी के चलते और सहयोग के अभाव के कारण जो हिन्दी पूर्णतया इस देश में एक मात्र सम्पर्क भाषा के रूप में समादृत होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी और आज अंग्रेजी को अतिरिक्त सम्पर्क भाषा के रूप में दुबारा कायम रखने के लिए हमारे भाई तर्क दे रहे हैं। हम इसलिए इसका विरोध करते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सब से पहली और बड़ी बात है कि उसकी भाषा क्या है, उसके कामकाज की भाषा क्या है, सारे सरकारी प्रयोजनों का काम किस भाषा में होता है, संसद किस भाषा में अपनी कार्रवाई का संचालन करती है, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का माध्यम क्या है। हर दृष्टि से विचार करने के बाद हम देखते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है, जन भाषा है और इस देश में कोई प्रदेश नहीं है जहां हिन्दी बोलने वाले नहीं हैं और वहां उनकी संख्या दूसरी या तीसरी नहीं है। हिन्दी भाषी राज्यों में तो शत प्रतिशत यही लोग हैं। आप देख कि हमारे देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या महज दो प्रतिशत है। आपको बहुत मौका मिला था हिन्दी को सर्वप्राह्य बनाने का और यह जिम्मेदारी प्रशासन की थी और अगर प्रशासन ईमानदारी से संविधान की भावना को कार्यान्वित करता तो अनेक दूसरे देशों की तरह यहां भी हिन्दी को जो स्थान मिलना चाहिये था वह स्थान मिल जाता। और आज भी यही प्रयास जारी है कि अतिरिक्त सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी बनाये रखी जाय। मैं और हिन्दी भाषी राज्यों के भाइयों से अपेक्षा करता चाहता हूं कि भाषा का प्रश्न कोई कानून का प्रश्न नहीं। यह तो विशुद्ध सांस्कृतिक और निष्ठा का प्रश्न